प्रेषक,

विजय प्रताप सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 20 मार्च, 2014**

विषय: अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना के अन्तर्गत कुल उपलब्ध धनराशि में से अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष प्रिपरेटरी एक्टिवीटीज हेतु रू0-38,91 हजार की धनराशि की पुर्नविनियोग के माध्यम से स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-235-36/बजट-आयोजनागत/2013-14 दिनांक 2.1.2014, के संदर्भ में शासन के पत्र संख्या-1036/58-2-13-300(15)/2013 दिनांक 05.12.2013 एवं वित्त विभाग के पुनर्विनियोग पत्र संख्या आर0ई0-449/-ई-1-187/दस-2014, दिनांक:10.03.14/ शासन के पृष्ठांकन संख्या-159/58-2-13-300(15)/2013 दिनांक 20.03.2013 की छाया प्रति संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग द्वारा लेखाशीर्षक 2401-119-01-0119 के अन्तर्गत निम्नलिखित मदों हेतु पुर्नविनियोग के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि रू0-38,91 हजार (रूपया अड़तिस लाख इक्यानबें हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि हजार रूपये में)

अनुदान सं0	लेखाशीर्षक/मद का नाम	आय-व्ययक प्राविधान	अवमुक्त की जा रही धनराशि
10	2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-		
	119- बागवानी तथा वनस्पति की फसलें		
	01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें।		
	0119-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन		
	(के.75/रा.25-के.+रा.)		
	08-कार्यालय व्यय	0	100
	11-लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	0	143
	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	1000
	13-टेलीफोन पर व्यय	0	10
	15-मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण व पेट्रोल की खरीद	0	100
	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवा के लिए भुगतान	0	50
	18-प्रकाशन	0	600

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

	42-अन्य व्यय	0	1044
	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0	369
	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	0	200
	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/स्टेशनरी का क्रय	0	275
	योग-	0	**3891**

1- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत नियमानुसार किया जायेगा।

2- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किसी अन्य मद में किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। अन्य मद में किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। इसके लिए संबंधित अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

3- अवमुक्त की जा रही उक्त धनराशि का व्यय करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगामी लोक सभा चुनाव के दृष्टिगत लागू आदर्श आचार संहित का उल्लंघन किसी भी दशा में नहीं होगा। विचलन की स्थिति में इसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/मुख्य वित्त नियंत्रक एवं सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

4- भण्डार क्रय नियमों/वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उक्त धनराशि के व्यय करने के पूर्व जहां आवश्यक होगा सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

6- व्यय की गयी धनराशि का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा। यदि उक्त मद में कोई धनराशि बचती है तो उसे शासन को यथासमय समर्पित किया जायेगा।

7- उक्त धनराशि को पुर्नविनियोग के निर्धारित प्रपत्र सं0 बी0एम0-9 पर संलग्नक के अनुसार वित्त विभाग की सहमति से व्यवस्थित की गयी है।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0संख्या ई-1-187/दस-2014 दिनांक 19 मार्च,2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

<u>संलग्नक-यथोक्त</u>

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या-20/243(1)/58-2-2014, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, लेखा प्रथम,उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 को तीन प्रतियों में।
5- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1
6- मुख्य वित्त नियन्त्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

फार्म बी.एम.–9 (भाग–1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति लिए आवेदन

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर–150)

(इस पत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली–भाँति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम :–10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) वित्तीय वर्ष :–2013–14 (धनराशि हजार रुपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनागत– 119–बागवानी तथा वनस्पति की फसलें– 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें– 0119–राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (के.75/रा.25–के.+रा.)					
27–सब्सिडी	192225	3891	3891	3891	188334
योग–	192225	3891	3891	3891	188334

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनागत– 119–बागवानी तथा वनस्पति की फसलें– 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें– 0119–राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (के.75/रा.25–के.+रा.)					
03–कार्यालय व्यय	0	100	100	100	100
11–लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	0	143	143	143	143
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	1000	1000	1000	1000
13–टेलीफोन पर व्यय	0	10	10	10	10
15–मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण व पेट्रोल की खरीद	0	100	100	100	100
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	50	50	50	50
18–प्रकाशन	0	600	600	600	600
42–अन्य व्यय	0	1044	1044	1044	1044
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0	369	369	369	369
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	0	200	200	200	200
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/स्टेशनरी का क्रय	0	275	275	275	275
योग–	0	3891	3891	3891	3891

(1) स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :–

27–सब्सिडी मद में आवश्यकता से अधिक प्राविधान उपलब्ध होने के फलस्वरूप।

(2) स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :–

भारत सरकार से जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रशासकीय व्यय को वहन करने हेतु सम्बन्धित लेखा मदों में धनराशि की व्यवस्था न होने के फलस्वरूप

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुर्नविनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–150, 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी / निदेशक
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0 प्र0
लखनऊ।

हस्ताक्षर :–
नाम व पदनाम :–
(प्रशान्त कुमार सिंह)
विशेष सचिव
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

संख्या–आर.ई.547/ई–187/दस–20, दिनांक
सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
हस्ताक्षर :–
नाम व पदनाम :–
वित्त विभाग :–

संख्या–159 / 58–2–2014–300(13) / 2013, दिनांक 20 मार्च,2014

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– संबंधित विभागाध्यक्ष (नियन्त्रक अधिकारी)–निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0, लखनऊ।
2– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3– निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय, निदेशालय जवाहर भवन, लखनऊ।
4– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–1
5– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (तीन प्रतियों में)।
6– वित्त नियन्त्रक, निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0, लखनऊ।
7– गार्ड फाइल।

हस्ताक्षर
नाम :– (विजय प्रताप सिंह)
पदनाम :– अनु सचिव
प्रशासकीय विभाग :–खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।